

प्रशासनिक सेवाएँ तथा केंद्र बनाम दिल्ली सरकार

प्रलिस के लिये:

भारतीय संविधान का 69वाँ संशोधन, संविधान का अनुच्छेद 239AA, सामूहिक उत्तरदायित्व

मेन्स के लिये:

नई दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन

चर्चा में क्यों?

प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण का मुद्दा दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, जिसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की [संविधान पीठ](#) द्वारा की जा रही है।

- इसी तरह के एक विवाद में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा लगभग पाँच वर्ष पहले राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

विवाद की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2017 का नरिणय:**
 - दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अपने फैसले में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये उपराज्यपाल को हमेशा मंत्रपरिषद की सलाह और सफ़ारिशों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
 - वर्ष 2017 में अपील के जवाब में सर्वोच्च न्यायालय ने [संविधान के अनुच्छेद 239AA](#) की व्याख्या पर नरिणय लेने के लिये मामले को आगे संदर्भित किया।
- वर्ष 2018 का नरिणय:**
 - पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना था कि दिल्ली के उपराज्यपाल को नरिवाचति सरकार की सहायता और सलाह लेनी चाहिये और दोनों को एक-दूसरे के साथ मलिकर काम करने की आवश्यकता है।
- वर्ष 2019 का नरिणय:**
 - सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने सेवाओं के संदर्भ में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के सवाल पर एक असमान मत दिया तथा मामले को आगे की सुनवाई के लिये तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया था।
 - जबकि एकल न्यायाधीश ने नरिणय दिया था कि दिल्ली सरकार के पास प्रशासनिक सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं है।
 - हालाँकि एक अन्य न्यायाधीश ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष अधिकारियों (संयुक्त नदिशक और उससे उच्च) की नियुक्ति या स्थानांतरण केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधित मामलों के लिये मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का विचार मान्य होगा।
- वर्ष 2022 का मामला:**
 - केंद्र ने 27 अप्रैल, 2022 को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की मांग यह तर्क देते हुए की कि उसे राष्ट्रीय राजधानी और "राष्ट्र का चेहरा" होने के कारण दिल्ली में अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति करने की शक्ति की आवश्यकता है।
 - न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि "सेवाओं" शब्द के संबंध में केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित सीमित प्रश्न को [संविधान के अनुच्छेद 145 \(3\)](#) के संदर्भ में संविधान पीठ द्वारा एक अधिकारिक नरिणय की आवश्यकता होगी।

मुद्दे में वाद और प्रतविवाद:

- वाद:**
 - केंद्र लगातार कहता रहा है कि चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है इसलिए प्रशासनिक सेवाओं पर इसका

नयितरण होना चाहिये, जसिमें नयिकृतयिँ और स्थानांतरण शामिल हैं।

■ प्रतवाडः

- दलली सरकार ने तरक दया है कसिंघवाड के हतल में नरलवाकतल प्रतनलधलतल के पास स्थानांतरण और नयिकृतल कल शकृतल होनी चाहलतल।
- दलली सरकार ने यह भी दलील दी थी कल [राषुडरीय राजधानी कषेतर दलली सरकार \(संशोधन\) अधनलयम, 2021](#) में हालया संशोधन संवधलन के मूल ढाँचे के सदलधांत का उल्लंघन करता है।

नई दलली का शासन मॉडलः

- संवधलन कल अनुसूची 1 के तहत दलली का दरजा एक केंद्रशासतल प्रदेश का है, कतल अनुचछेद 239AA के तहत इसे 'राषुडरीय राजधानी कषेतर' का नाम दया गया है।
- भारत के संवधलन में 69वें संशोधन द्वारा अनुचछेद 239AA को सममलतल कया गया, जसलने केंद्रशासतल प्रदेश दलली को एलजी द्वारा प्रशासतल केंद्रशासतल प्रदेश घोषतल कया जो कल नरलवाकतल वधलनसभा कल सहायता और सलाह पर काम करता है।
 - हालाँकल 'सहायता और सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधतल है जनल पर नरलवाकतल वधलनसभा को सार्वजनकल व्यवस्था, पुलसल तथा भूमल के अपवाद के साथ [राज्य और समवरती सूची](#) के तहत शकृतयल प्राप्त हैं।
- इसके अलावा अनुचछेद 239AA यह भी कहता है कल एलजी को या तो मंत्रपरलषलद कल सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा अथवा वह राषुडरपतलदलवारल लया गए नरलणय को लागू करने के लया बाधय है।
- साथ ही अनुचछेद 239AA में यह व्यवस्था है कल उपराज्यपाल और दलली सरकार के बीच कसलल मुददे पर मतभेद होने पर एलजी मामले को राषुडरपतल के पास भेज सकता है।
- इस प्रकार एलजी और नरलवाकतल सरकार के बीच यह द्वेध नयितरण सतता संघर्ष कल ओर उनमुख हो जाता है।

आगे कल राह

- संवधलन कल संघीय प्रकृतल इसकल मूल वशलषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इस प्रकार सतता में रहने वाले हतलधारक हमारे संवधलन कल संघीय वशलषता कल रकषा करना चाहते हैं।
- भारत जैसे ववलधल और बडे देश में संघवाड के सतंभों, यानल राज्यों कल स्वायत्तता, राषुडरीय एकीकरण, केंद्रीकरण, वकलेंद्रीकरण, राषुडरीयकरण तथा कषेतररीयकरण के बीच एक उकतल संतुलन कल आवश्यकता है।
 - अत्यधकल राजनीतकल केंद्रीकरण या अराजक राजनीतकल वकलेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाड को कमजोर कर सकते हैं।
- इस वकलट समस्या का संतोषजनक और स्थायी समाधान वधलन-पुस्तक में नहीं बल्कल सतता में बडे लोगों कल अंतरात्मा में खोजना होगा।
- लोकतंत्र के सतंभों के रूप में [सामूहकल उततरदायतलत्व](#), सहायता और सलाह के साथ एक संतुलन खोजना एवं यह तय करना महत्त्वपूर्ण है कल दलली में सेवाओं पर केंद्र या दलली सरकार का नयितरण होना चाहलतल या नहीं।

UPSC सवलल सेवा परीक्षा, वगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. कया सर्वोच्च न्यायालय का नरलणय (जुलाई 2018) दलली के उपराज्यपाल और नरलवाकतल सरकार के बीच राजनीतकल कशमकश को नपलटा सकता है? परीक्षण कलजयल। (मुख्य परीक्षा, 2018)

[सुरोतः इंडयलन एक्सप्रेस](#)